संख्या- 3/2016/सीपी 611/84-2-2015-सीपी 10/2008

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 जनवरी, 2016

विषय वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन (भाग-1) द्वारा वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3287/एस0सी0डी0आर0सी0यू0पी/ अधि0 60/07, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 की वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयों का समावेश करते हुए राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013" निर्गत की गयी है। उक्त सेवा नियमावली एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या वे0आ0 2- 487/दस-54 (एम) 2008 टी0सी0, दिनांक 18.09.2012 के प्रस्तर-1(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के वाहन चालक के पुनर्गठन हेतु इस शासनदेश के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ-2,3,4,5 व 6 में उल्लिखित क्रमश: पदों के नाम, वर्तमान /संस्तुत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, पदों की संख्या तथा भर्ती की विधि/अर्हता को दिनांक 14 जून, 2012 से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0 2-841/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 24.12.2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 3/2016/सीपी 611(1)/84-2-2015-सीपी 10/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 7, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड बुक।

भवदीय,

अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 3/2016/सीपी 611/84-2-2015-सीपी 10/2008, दिनांक 08 जनवरी, 2016 का

संलग्नक

तालिका

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान /वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संस्तुत वेतनमान / वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	पदों की संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/ अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	वाहन चालक ग्रेड-4	3050-4590 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 5200-20,200 ग्रेड वेतन 1900)	3050-4590 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 5200-20,200 ग्रेड वेतन 1900)	01	उ0 प्र0 सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन), नियमावली, 2013 के अनुसार - (एक) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हताएं - (i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और (ii) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो। (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनरों और समूह "घ" कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					परन्तु यह कि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उप खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2	वाहन चालक ग्रेड-3	4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 5200-20,200 ग्रेड वेतन 2400)	4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 5200-20,200 ग्रेड वेतन 2400)	01	वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-4 से की जायेगी, जिन्होंने 09 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
3	वाहन चालक ग्रेड-2	4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 5200-20,200 ग्रेड वेतन 2800)	4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड 5200-20,200 ग्रेड वेतन 2800)	01	वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-3 के पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने ग्रेड-3 के पद पर 06 वर्ष की संतोषजनक सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
			पदों की संख्या	03	

अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।